

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

## 128016 - मृतक की ओर से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म

### प्रश्न

मैं ने ईदुल अज़हा के दौरान कुछ लोगों को अपने माता पिता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से कुर्बानी करते हुए देखा है, तो क्या यह धर्मसंगत है या बिदअत (नवाचार) है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुर्बानी भेंट करना या आपकी तरफ से कुर्बानी करना धर्मसंगत नहीं है ; क्योंकि यह बात किसी एक सहाबी से भी वर्णित नहीं है जबकि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संपूर्ण महब्वत करते थे और भलाई करने के अत्यन्त अभिलाषी व इच्छुक थे। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को इस का मार्गदर्शन नहीं किया है, जिस तरह कि आप ने उन्हें अपने ऊपर दुरूद पढ़ने तथा अज़ान के बाद अपने लिए फज़ीलत और वसीला का प्रश्न करने के लिए मार्गदर्शन किया है। अगर यह नेकी और भलाई का काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें इस पर अवश्य मार्गदर्शन करते। तथा इसलिए भी कि आपकी उम्मत जो भी भलाई का काम करेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उसका सवाब (प्रतिफल) मिलेगा ; क्योंकि आप ही उसकी तरफ मार्गदर्शन करने वाले और आमंत्रित करने वाले हैं। इस तरह काम करने वाले का नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सवाब भेंट कर देने में कोई फायदा नहीं है। बल्कि इसमें तो काम करने वाले का अपने आप से सवाब को बाहर निकाल देना पाया जात है जबकि उसका किसी दूसरे को कोई लाभ नहीं पहुँचता है।

तथा प्रश्न संख्या (52772) के उत्तर में इसका विस्तार से वर्णन गुज़र चुका है।

दूसरा : मृत की ओर से कुर्बानी के तीन रूप हैं :

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

पहला रूप :

वह उनकी ओर से जीवित लोगों के अधीन कुर्बानी करे, उदाहरण के तौर पर आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करे और उनसे जीवित और मृत दोनों की नीयत करे, और ऐसा करना जायज़ है। इसका प्रमाण यह है कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करते थे और उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहले मर चुके थे, जैसे कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा।

दूसरा रूप :

यह कि मृतकों की ओर से उनकी वसीयतों के अनुसार उन्हें लागू करते हुए कुर्बानी करे। ऐसा करना अनिवार्य है सिवाय इसके कि वह इसमें असक्ष हो जाए। इसका प्रमाण वसीयत के बदलने के बारे में अल्लाह तआला का यह कथन है :

[فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] [البقرة : 181]

"फिर जिसने उसे सुनने के बाद बदल दिया तो उसका पाप उन पर है जो उसे बदल देते हैं, निःसंदेह अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है।" (सूरतुल बकरा : 181).

तीसरा रूप :

वह मृतकों की ओर से दान के तौर पर जीवित लोगों से अलग कुर्बानी करे, (इस प्रकार कि अपने पिता के लिए एक अलग कुर्बानी करे या अपनी माँ के लिए एक अलग कुर्बानी करे), तो ऐसा करना जायज़ है। तथा इस बात पर हंबली मत के धर्म-शास्त्रियों का स्पष्ट कथन है कि उसका सवाब (पुण्य) मृतक को पहुँचता है और वह इससे लाभ उठाता है, उन्होंने ने इस मुद्दे को मृतक की ओर से सद्का करने के मुद्दे पर क्रियास किया है। लेकिन इसे छोड़ देना ही बेहतर है क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित नहीं है। चूनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने विशिष्ट करके अपने मृतकों में से किसी एक की तरफ से भी कुर्बानी नहीं की है। चनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चाचा हमज़ा की ओर से कुर्बानी नहीं की जबकि वह आप के सबसे प्यारे रिश्तेदारों में से थे, न तो अपने उन बच्चों की ओर से कुर्बानी की जो आपके जीवन में मृत्यु पा चुके थे, और न ही आप ने अपनी पत्नी खदीजा की ओर से कुर्बानी की जबकि वह आपके निकट आपकी सबसे प्रिय पत्नियों में से थीं। इसी तरह आपके समय काल में आपके सहाबा से भी वर्णित नहीं है कि उन में से किसी ने अपने मृतकों में से किसी की ओर से कुर्बानी की है।

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

तथा प्रश्न संख्या (36596) का भी उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।